माह सितम्बर, 2019 के लिए गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, उल्लेखनीय घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां

माननीय गृह मंत्री जी ने प्राइवेट सूचना एजेंसियों को ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने के लिए दिनांक 24.09.2019 को 'प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल' का शुभारंभ किया। इस पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करने और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंसों को जारी करने/उनके नवीकरण करने के लिए एक सामान्य मंच का प्रावधान किया गया है। आईसीजेएस के माध्यम से पूर्ववृत्त की ऑनलाइन जांच की जाती है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पेमेंट गेटवे को समेकित करके ऑनलाइन फीस के भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पोर्टल पर ई-साइन और जीवो-टैगिंग के फीचर की व्यवस्था की गई है।

2. दिनांक 24.09.2019 को माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी ने केवल लाइसेंसशुदा प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को हायर करने के लिए जन जागरण मीडिया अभियान शुरू किया। ।

3. दिनांक 17.09.2019 को, केन्द्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ को दंतेवाड़ा में दुर्घटना मुक्त चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए पत्र लिखा।

4. दिनांक 04.09.2019 को मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, जकीर-उर-रहमान लखवी और दाउद इब्राहिम कासकर को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की अनुसूची 4 में व्यक्तिगत आतंकवादियों के रूप में घोषित किया गया और उसमें उनके नाम जोड़े गए।

5. सितम्बर, 2019 के दौरान, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45 (1) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को 10 आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार करके मुकदमा चलाने की संस्वीकृति प्रदान की गई।

6. विशेष सचिव (आई एस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में ब्रू संप्रत्यावर्तन संबंधी निगरानी समिति की पांचवीं बैठक दिनांक 06.09.2019 को नई दिल्ली में हुई जिसमें त्रिपुरा से मिजोरम में ब्रू के संप्रत्यावर्तन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।

7. भारत और म्यांमार के बीच 24वीं सेक्टर स्तरीय बैठक दिनांक 23-24 सितम्बर, 2019 को म्यांमार में हुई जिसमें आतरिक सुरक्षा संबंधी सहयोग, अन्तरराष्ट्रीय सीमा प्रबंधन, ड्रग तस्करी निवारण में सहयोग, वन्य जीव की चोरी और आपसी सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

8. दिनांक 10.09.2019 को, गृह मंत्रालय की साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना जारी की गई।

9. दिनांक 20.09.2019 को, विधिविरुद्ध (निवारण) अधिकरण ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट (मोहम्मद यासिन मलिक गुट) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की पुष्टि की।

10. सितम्बर, 2019 के दौरान, 17 विदेशी राष्ट्रिकों सहित 51 व्यक्तियों को ड्रग की तस्करी में संलिप्त पाए जाने के लिए गिरफ्तार किया गया। 4698 कि.ग्रा. से अधिक मात्रा में स्वापक पदार्थ जब्त किए गए।

11. विशेष सचिव (आईएस) की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2019 को परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक हुई जिसमें विशेष अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल राज्य सरकारों के प्रस्ताव/कार्य योजना का अनुमोदन किया गया जिसमें 250 किलाबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण भी शामिल था।

12. वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय सकीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में 66.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत वामपंथ उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित 30 जिलों को 580 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

13. शुक्रवार की नमाज, गणेश महोत्सव, मोहर्रम, डुसु चुनाव, अति विशिष्ट महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों और सहारनपुर और एनटीआरओ, भोपाल (मध्य प्रदेश) में कानून और व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों अर्थात तेलंगाना, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, चंडीगढ़ में केन्द्रीय शस्त्र पुलिस बल की 56 कंपनियों की तैनाती की गई।

14. भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, उत्तर प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हरियाणा और महाराष्ट्र में इलेक्शन ड्यूटी के संबंध में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 144 कंपनियों की तैनाती की गई।

15. माह के दौरान, भूमि अधिग्रहण के लिए 23.59 करोड़ रुपए और अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 160.59 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई।

16. माह के दौरान, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत 61.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

17. माह के दौरान, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों को 267.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

18. माह के दौरान, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा तीन राज्य विधेयकों को अनुमति प्रदान की गई। ये विधेयक : बेंगलुरू डॉ. बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, विधेयक, 2018; झारखण्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (संशोधन) विधेयक, 2018; और तमिलनाडु एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एण्ड लाइवस्टॉक कांट्रेक्ट फार्मिंग 85 सर्विसेज (प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन) विधेयक, 2019 हैं।

****